निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 56/2021 तारीख दायरा– 02.06.2021

उनवान

1. मनीष पुत्र श्री भगवतीप्रसाद जाति कलाल निवासी ग्राम घानाहेडा,
2. पवन पुत्र श्री भगवतीप्रसाद जाति कलाल निवासी ग्राम घानाहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा।

– वादीगण

बनाम

1. भगवतीप्रसाद पुत्र श्री मदनलाल जाति कलाल निवासी ग्राम घानाहेडा,
2. कल्याणबाई पुत्री श्री मदनलाल जाति कलाल निवासी ग्राम घानाहेडा,
3. उमाबाई पुत्री श्री मदनलाल जाति कलाल निवासी ग्राम घानाहेडा
4. तहसील सांगोद जिला कोटा,राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :–

श्री नरेश गौतम (वकील वादीगण) दिनांक :–11.01.2022

श्री जयवर्द्धन गौतम (वकील प्रतिवादीगण)

–: निर्णय :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:30:40 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी व प्रतिवादीगण का खानदानी शजरा हस्ब निम्न प्रकार है :–

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

स्व. मदनलाल पुत्र श्री चतुर्भुज

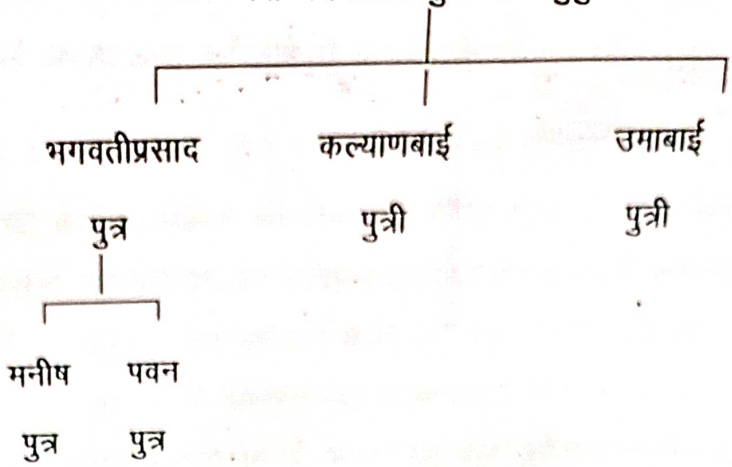

भगवतीप्रसाद	कल्याणबाई	उमाबाई
पुत्र	पुत्री	पुत्री

भगवतीप्रसाद के:

मनीष	पवन
पुत्र	पुत्र

वादीगण के दादाजी स्व.मदनलाल जी के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित खसरा नंबर 30 रकबा 1.28 हैक्टर, खसरा नंबर 137 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 138 रकबा 2.33 हैक्टर, खसरा नंबर 278 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नंबर 285 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 286 रकबा 1.09 हैक्टर, खसरा नंबर 442 रकबा 0.60 हैक्टर कुल किता 7 की कुल 5.46 हैक्टर आराजी माल ग्राम घानाहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित है। वादग्रस्त आराजी के खातेदार स्व.मदनलाल जी की मृत्यु हो चुकी है जिनकी जीवनपर्यन्त सेवा–सुश्रुषा वादीगण द्वारा बदस्तूर की जाती रही है जिससे प्रसन्न होकर खातेदार स्व.मदनलाल जी द्वारा अपने जीवनकाल में ही वादग्रस्त आराजी के संबंध में वादीगण के हक में दिनांक 12.01.2018 को वसीयत आलेखित कर दी थी तथा कार्यालय उप–पंजीयक सांगोद में जाकर क्रम संख्या 201803303300001 दिनांक 12.01.2018 पर पंजीबद्ध भी करवा दी थी। साथ ही खातेदार द्वारा वादग्रस्त आराजी मौके पर वादीगण को सम्भला दी थी, तभी से वादीगण वादग्रस्त आराजी को शान्तिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे हैं। मुताबिक वसीयत खातेदार स्व.मदनलाल जी के मृत्योपरान्त वादीगण वादग्रस्त आराजी के कानूनन खातेदार काश्तकार हो चुके हैं तथा कब्जाकाश्त भी वादीगण का शान्तिपूर्वक बदस्तूर चला आ रहा है किन्तु कल प्रतिवादी क्रं. 1 द्वारा वादीगण को धमकी दी कि वह वादीगण को वादग्रस्त आराजी से जबरन बेदखल कर स्वयं आराजी पर कब्जा कर लेगा जिसमें यदि प्रतिवादी क्रं. 1 सफल हो जाता है तो वादीगण को ऐसी अपरिमित क्षति होगी जिसकी भविष्य में कभी पूर्ति नहीं हो सकेगी। वादकारण प्रतिवादी क्रं. 1 द्वारा वादीगण को वादग्रस्त आराजी से जबरन बेदखल कर कब्जा आराजी करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:30:40 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादग्रस्त आराजी का वादीगण को [illegible] काश्तकार घोषित किया जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्र[illegible] वादग्रस्त आराजी में वादीगण के शान्तिपूर्ण कब्जेकाश्त व उपयोग–उपभोग में [illegible], मजामहत, क्षति, नुकसान न करें,

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

दीगण को जबरन वादग्रस्त आराजी से बैदखल नहीं करें। उक्त कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करें, न ही अपने नौकरों, एजेन्टों अथवा अन्य व्यक्तियों से करावें।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत किया जाने पर दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की ओर से वकील श्री जयवर्द्धन गौतम द्वारा इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। इसके उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत कर राजीनामे के अनुसार वाद स्वीकार करने की प्रार्थना की। प्रतिवादी सं. 4 ने न्यायालय हाजा में उपस्थिति होकर प्रकरण में राजहित नहीं होना व्यक्त किया। वकील वादी द्वारा बहस की गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर दावा स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, नकल जमाबन्दी, रजिस्टर्ड अन्तिम इच्छा पत्र, इकबाली जवाब दावा, राजीनामा एवं जवाब सरकार इत्यादि का अवलोकन करने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर दावा स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि–

माल ग्राम घानाहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 30 रकबा 1.28 हैक्टर, खसरा नंबर 137 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 138 रकबा 2.33 हैक्टर, खसरा नंबर 278 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नंबर 285 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 286 रकबा 1.09 हैक्टर, खसरा नंबर 442 रकबा 0.60 हैक्टर कुल किता 7 की कुल 5.46 हैक्टर आराजी का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में मृतक वसीयतकर्ता मदनलाल पुत्र चतुर्भुज के स्थान पर वादीगण के खाते दर्ज की जावे। उक्त घोषणा के अनुक्रम में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब की जावें।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 11.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाकर सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:30:40 IST
Reason: SelfAttested

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

फर्द डिकी मुक़दमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 56 / 2021

तारीख दायरा– 02.06.2021

उनवान

1. मनीष पुत्र श्री भगवतीप्रसाद जाति कलाल निवासी ग्राम घानाहेडा,
2. पवन पुत्र श्री भगवतीप्रसाद जाति कलाल निवासी ग्राम घानाहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा।

– वादीगण

बनाम

1. भगवतीप्रसाद पुत्र श्री मदनलाल जाति कलाल निवासी ग्राम घानाहेडा,
2. कल्याणबाई पुत्री श्री मदनलाल जाति कलाल निवासी ग्राम घानाहेडा,
3. उमाबाई पुत्री श्री मदनलाल जाति कलाल निवासी ग्राम घानाहेडा
4. तहसील सांगोद जिला कोटा,राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :–

श्री नरेश गौतम (वकील वादीगण)

दिनांक :–11.01.2022

श्री जयवर्द्धन गौतम (वकील प्रतिवादीगण)

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री नरेश कुमार गौतम मिन जानिब मुदई रूबरू श्री [illegible] जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि –

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:30:40 IST
Reason: SelfAttested

माल ग्राम घानाहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 30 रकबा 1. 28 हैक्टर, खसरा नंबर 137 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 138 रकबा 2.33 हैक्टर, खसरा नंबर

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

178 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नंबर 285 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 286 रकबा 1.09 हैक्टर, खसरा नंबर 442 रकबा 0.60 हैक्टर कुल किता 7 की कुल 5.46 हैक्टर आराजी का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में मृतक वसीयतकर्ता मदनलाल पुत्र चतुर्भुज के स्थान पर वादीगण के खाते दर्ज की जावे। उक्त घोषणा के अनुक्रम में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 11.01.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:30:40 IST
Reason: SelfAttested